(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3714-दो/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-10-2015 - पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ जिला रीवा - प्रकरण कमांक 55 अ-27/14-15 अपील

माधवप्रसाद पुत्र बासदेव पटैल
ग्राम उलही कला तहसील मनगवॉ
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- जगन्नाथ पुत्र परमेश्वरदीन पटैल
2- रामबहोर 3- राममिलन पुत्रगण जगन्नाथ पटैल
4- रामखेलावन 5- उधवप्रसाद पुत्रगण ठाकुरदीन पटैल
निवासी ग्राम उलही कला तहसील मनगवॉ
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदकगण 1 से 3 के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 55 अ-27/14-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसील मनगवॉ व्दारा ग्राम उलही की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 21 पर दिये गये आदेश दिनांक 14-8-2010 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ के समक्ष दिनांक 25-4-15 को अपील प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी मनागवॉ ने हितबद्व पक्षकारों को धारा-5 के आवेदन पर सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-2015 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1 से 3 के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी मनगवां ने अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-2015 से बेरूम्याद प्रस्तुत अपील के विलम्ब को क्षमा करने में त्रृटि की है अथवा नहीं ? ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 21 पर आदेश दिनांक 14-8-2010 से किये गये बटवारा आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 25-4-15 को अर्थात लगभग 5 वर्ष 3 माह से अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में बताया गया है कि उत्तरवादीगण व्दारा आवेदक की स्वतंत्र खाते की आराजी का बटनवारा दिखाकर हलका पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर नामांत्रण करा लिया है। आवेदक हस्तलिखित खसरा लेने के लिये दिनांक 15-4-15 को गया तो हलका पटवारी ने बताया कि आराजी नंबर 200/1 व 200/2 में आपका नाम खसरे में दर्ज नहीं है बल्कि उत्तरवादी कमांक 1, 2, 3 का नाम दर्ज है तब आवेदक ने दिनांक 15-4-15 को ही तहसील में आकर पंजी कमांक व आदेश दिनांक की जानकारी लेकर नकल हेतु आवेदन पत्र 15-4-15 को लगाया एंव 22-4-15 को नामान्तरण आवेदन की नकल बनी, उसके वाद अधिवक्ता से संपर्क कर अपील बनवाकर प्रस्तुत की है। अनावेदक के आवेदन के इन्हीं तथ्यों

को समाधान-कारक मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा किया है।

1. अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्वांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (**A.I.R.** 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)
2. प्रेमनारायण राठौर बनाम म0प्र0 राज्य 2006 रा0नि0 351 का दृष्टांत है कि परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा –5 – आक्षेपित आदेश की सूचना समय से नहीं दी गई – सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपील फाइल की गई– उदारतापूर्वक माफी प्रदान की जाना चाहिये – आवेदन मंजूर किया गया। **A.I.R. 1987 S.C. 1353** तथा 1997 रा.नि. 345 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित –

अनुविभागीय अधिकारी मनगवां ने अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-2015 से विलम्ब क्षमा किया है जबकि प्रकरण में आगे सुनवाई होना है जहां दोनों पक्षों को पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के अंतरिम आदेश दि. 7-10-2015 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 55 अ-27/14-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर